न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या — 98/2017/223 आरटीए

ज्यानम उर्फ ज्याना पुत्री आमीन पत्नी मोहम्मद रसीद जाति मुसलमान निवासी अजीतपुरा हाल निवासी वार्ड न0 20 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

————अपीलान्ट

बनाम

1. हकीमन पुत्री मलक मोहम्मद पत्नी ममुखां जाति मुसलमान व्यापारी निवासी अजीतपुरा हाल निवासी वार्ड न0 13 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. आमीना बानो पुत्री मलक मोहम्मद पत्नी मोहम्मद इशाक जाति मुसलमान निवासी अजीतपुरा हाल निवासी वार्ड न0 44 इन्द्रा चौक श्रीगंगानगर।
3. यासीन पुत्र मलक मोहम्मद जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मामदीन पुत्र मलक मोहम्मद जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. जरीना बानो पत्नी मामदीन जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. सलीम पुत्र यासीन खां जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. महबूब पुत्र यासीन खां जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. अकरम पुत्र यासीन खां जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. अनवर पुत्र यासीन खां जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. इमरान पुत्र यासीन खां जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. लाली बानो पुत्री यासीन खां पत्नी अजीत खां जाति मुसलमान निवासी अजीतपुरा हाल निवासी नजदीक रेल्वे स्टेशन सूरतगढ़।
12. कौशर बानो पुत्री यासीन खां जाति मुसलमान निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
13. एम0 जी0 बी0 बैंक अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबंधक अजीतपुरा तहसील भादरा।
14. सब रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

————रेस्पोडेन्टस

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.11.2016 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा
प्रकरण संख्या 04/2015 बअनवानी हकीमन आदि बनाम यासीन आदि

उपस्थितः—

श्री मदन मोहन जोसी अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2,

निर्णय दिनांक 26.04.2018

1. प्रकरण में सारगर्भित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर दावा की मद

संख्या 2 में वर्णित भूमि वादियान प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 व 2 का 1/4–1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार होने एवं वाद भूमि में प्रतिवादी 3 व 4 से 11 का कोई हक हिस्सा नहीं होने की उदघोषणा चाही जिसमें राजस्व लोक अदालत 2016 कैम्प भादरा में राजीनामा पेश होने पर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलान्टा ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मलक मोहम्मद के पांच संतान हकीमन, मैना उर्फ आमीना, यासीन, मामदीन व आमीन पैदा हुए जिनमें हकीमन व मैना उर्फ आमीना दो पुत्रियां व तीन पुत्र यासीन, मामदीन व आमीन पैदा हुए। इस प्रकार मृतक मलक मोहम्मद के पांच कानूनी वारिसान प्राकृतिक रूप से पैदा हुए। जिनमें आमीन खां की मृत्यु मलक मोहम्मद की मृत्यु से पहले हो गई थी। आमीन खां की मृत्यु हुई उस वक्त उसके अपीलांट एक मात्र संतान थी। अपीलान्ट का पालन–पोषण उसकी माता मु0 हसमत व यासीन खां ने किया लेकिन मलक मोहम्मद की मृत्यु के वक्त अपीलान्टा आमीन खां की एक मात्र वारिस की हैसियत से मौजुद थी। तथा वाद भूमि में अपीलान्ट का 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा अपीलान्ट के पक्ष में पूर्व में हुए नामान्तरण की प्रति पहचान पत्र व आधार कार्ड, वारिस प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेजात है जिनसे यह भली भांति साबित है कि अपीलान्ट आमीन पुत्र मलक मोहम्मद की एक मात्र संतान है तथा हसमत जो कि आमीन की पत्नी थी उसको फौत होने के पश्चात आमीन की भूमि में केवल अपीलान्ट 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा वाद भूमि रोही मौजा अजीतपुरा तहसील नोहर के ख0 न0 1009 की 11.7230 है0 भूमि में अपीलान्ट का 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार है वादीया/अपीलान्ट के हक व हिस्से की भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 ने अपने नाम डिक्री करवाने का कतई कानूनी हक नहीं था। मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बातो को अनदेखा करके विधि की अवहेलना में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान अपीलान्टा को दिनांक 02.03.2017 को हुआ उस दिन नकले प्राप्त करके ज्ञान से भीतर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है जिससे भीतर मियाद स्वीकार किये जावे। अपने कथनो के समर्थन में ए0 आई0 आर0 1971 पेज 2184 सुप्रीम कोर्ट, आर आर डी 2016 पेज 236, 2005 आर एल डब्ल्यू पेज 70 व 131 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि स्व0 मलक मोहम्मद के पुत्र आमीन की पुत्री ज्याना एक मात्र वारिस होना अपीलान्ट ने स्वयं को दर्शित किया है परन्तु मलक मोहम्मद दिनांक 30.04.1977 को फौत हुआ है जबकि आमीन अपने

पिता से पूर्व फौत हो चुका था एवं आमीन की पत्नी हसमत बानो ने अपने पति के भाई यासीन खां से निकाह कर लिया था एवं यासीन खां की पुत्री अपीलान्टा है। यासीन खां ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इकबाल दावा में आमीन के फौत होने के बाद यासीन खां की शादी के बाद ज्यानम का जन्म 15 महिने बाद होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 9 ने भी इकबाल दावा प्रस्तुत किया है एवं लोकअदालत की भावना से अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के आधार पर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया है मुश्लिम विधि के अनुसार पिता के जीवन काल में पुत्र का देहांत होने पर मृत पुत्र के वारिसान का कोई अधिकार नहीं होता है क्योंकि मुश्लिम लॉ में ना तो पैतृक सम्पति का सिद्धांत लागू होता है ना ही प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू होता है इसलिए अपील अपीलान्ट पोषणीय ही नहीं होने के आधार पर अपील खारिज की जावे। अपने कथनो के समर्थन में 2017 आर आर डी पेज 430, डी बी का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन भली भांति किया गया व अपील पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र दफा 5 बमय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है एवं अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतू कथन किया है अपील प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण श्रेयस्कर होने के कारण आवेदन पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर अपील भीतर मियाद मानी जाती है एवं आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 सी पी सी के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपील निस्तारण में सहायक होने के कारण अभिलेख पर लिये जाते है। जहा तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्टा अपने दादा की भूमि में अपने दादा के तीन पुत्र व दो पुत्रियां होने से 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार होने संबंधी अपील में अनुतोष चाहा है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 का यह कथन है कि अपीलांटा की माता हसमत बानो ने आमीन के फौत होने के बाद यासीन खां से निकाल कर लिया था एवं अपीलान्टा यासीन खां की पुत्री है अपीलांटा ने अपील में निर्वाचन पहचान पत्र जो सन् 2008 का है,राशन कार्ड 2016, पास बुक बैंक ऑफ बड़ोदा 2012 , गैस ऐजेंन्सी अजीतपुरा की उपभोगता पास बुक सन् 2012, आधार कार्ड की प्रति, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राशन कार्ड 2017 आदि प्रस्तुत की है जिसमें उसके पिता का नाम आमीन दर्ज हैं। जो समस्त दस्तावेज काफी बाद के दस्तावेज है जबकि आमीन खां के मृत्यु प्रमाण–पत्र में उसकी मृत्यु दिनांक 15.04.1973 अंकित है एवं मलक मोहम्मद की मृत्यु दिनांक मृत्यु प्रमाण–पत्र अनुसार दिनांक 30.04.1977 है प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलान्टा का दादा मलक मोहम्मद अपने पुत्र आमीन खां

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

से बाद में फौत हुआ है। मुश्लिम विधि में पैतृक सम्पति एवं संयुक्त परिवार की सम्पति से संबंधित कोई अवधारना नहीं होती है एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत 2017 आर आर डी पेज 430 डी बी में यह स्पष्ट अवधारना पारित की गई है कि मुश्लिम विधि के अनुसार पिता के जीवन काल में अगर पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो मृतक पुत्र के उत्तराधिकारी अपने दादा की सम्पति में कोई हक व अधिकार विरासत में प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते है। इसलिए उक्त न्यायिक दृष्टांत एवं मुश्लिम विधि में दिये प्रावधान के परिपेक्ष में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2016 यथावत रखे जाने योग्य होने से यथावत रखा जाता है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2016 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जावें। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 98/2017/223 आरटीए

ज्यानम उर्फ ज्याना पुत्री आमीन पत्नी मोहम्मद रसीद जाति मुसलमान निवासी अजीतपुरा हाल निवासी वार्ड न0 20 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––––अपीलान्ट

बनाम

1. हकीमन पुत्री मलक मोहम्मद पत्नी ममुखां जाति मुसलमान व्यापारी निवासी अजीतपुरा हाल निवासी वार्ड न0 13 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. आमीना बानो पुत्री मलक मोहम्मद पत्नी मोहम्मद इशाक जाति मुसलमान निवासी अजीतपुरा हाल निवासी वार्ड न0 44 इन्द्रा चौक श्रीगंगानगर।
3. यासीन पुत्र मलक मोहम्मद जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मामदीन पुत्र मलक मोहम्मद जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. जरीना बानो पत्नी मामदीन जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. सलीम पुत्र यासीन खां जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. महबूब पुत्र यासीन खां जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. अकरम पुत्र यासीन खां जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. अनवर पुत्र यासीन खां जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. इमरान पुत्र यासीन खां जाति कुरैशी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. लाली बानो पुत्री यासीन खां पत्नी अजीत खां जाति मुसलमान निवासी अजीतपुरा हाल निवासी नजदीक रेल्वे स्टेशन सूरतगढ़।
12. कौशर बानो पुत्री यासीन खां जाति मुसलमान निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
13. एम0 जी0 बी0 बैंक अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबंधक अजीतपुरा तहसील भादरा।
14. सब रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––––रेस्पोडेन्टस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.11.2016 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा
प्रकरण संख्या 04/2015 बअनवानी हकीमन आदि बनाम यासीन आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मदन मोहन जोसी अधिवक्ता अपीलान्ट एवं श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2016 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 26.04.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ